अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 745/22 (सीआईएस 745/22)
रामलाल चौधरी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं. 745 / 2022
रामलाल चौधरी बनाम जविप्रा
दिनांक 09.07.2026

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस एस सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद रावत उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से निम्न अनुतोष चाहा गया।
" अतः अपील अपीलार्थी विरूद्व प्रत्यर्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रत्यर्थी के अधिनस्थ प्रवर्तन अधिकारी जोन–18, पीआरएन साउथ द्वारा जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.8.2022 में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित की गई योजना प्लान के आधार पर योजना राजेन्द्र प्रसाद नगर ए, जयपुर के नियमन किया गया है को निरस्त कर अपीलार्थी की खसरा नं. 113, में सृजित अपीलार्थी की भूमि क्षेत्रफल 550 वर्गगज पर किसी अन्य व्यक्ति के हक सृजित नहीं करे, पट्टे जारी नही करे, अगर किसी दीगर व्यक्ति को पट्टा जारी कर दिया है तो उसे अविलम्ब जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर स्तर पर निरस्त किया जावे तथा भविष्य में अपीलार्थी की उक्त भूमि पर किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति के हक सृजित नहीं करे एवं अपीलार्थी को उसकी भूमि का देय राशि लेकर पट्टा विलेख जारी करे।"

जविप्रा की ओर जवाब अपील हेतु निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।
" उक्त अपील में अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से चाहे गये अनुतोष में अपीलार्थी द्वारा श्ग्राम बदरवास, पटवार हल्का हीरापुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर में स्थित योजना राजेंद्र प्रसाद नगर–ए के संबंध में उपायुक्त जोन–18, पी आर एन साउथ द्वारा जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित की गई योजना राजेंद्र प्रसाद नगर–ए के नियमन को निरस्त कर अपीलार्थी की खसरा नंबर 113 में सृजित अपीलार्थी की भूमि क्षेत्रफल 550 वर्गगज पर पट्टे जारी नहीं करें एवं जारी पट्टे को निरस्त करें, का अनुतोष माननीय न्यायालय से चाहा गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णन अनुसार अपीलार्थी का खसरा नंबर 113 की भूमि में हित निहित है एवं जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 में ही बिंदु संख्या 4 के अनुसार खसरा नंबर 113 के रकबे को छोड़ते हुए शेष खसरा नंबर पर सृजित भूखंडों का नियमन किए जाने का निर्णय लिया गया है।"

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस अधिकरण की राय में हस्तगत अपील निम्न प्रकार निस्तारित होने योग्य है।

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 745/99 (सीआईएस 745/99)
रामलाल चौधरी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश जविप्रा द्वारा विवादित खसरा सं 113 को नियमन से मुक्त रखा है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया गया है। अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	